राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/48676-900 दिनांकः 09/06/2022

1. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।

2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद्/पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के संपादन हेतु जारी किये जाने वाले मस्टररोल के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्य संपादन करने के लिए श्रमिकों एवं मेट के लिए पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवार पृथक्–पृथक् मस्टररोल जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति दस श्रमिक एक मस्टररोल (अकुशल श्रमिकों के लिए मस्टररोल) जारी की जायेगी। श्रमिकों की संख्या दस से अधिक होने की अवस्था में तद्नुसार प्रति दस श्रमिक पृथक् से जारी की जायेगी।

<u>मेट का नियोजन कार्यवार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–</u>

1. प्रति 20 श्रमिकों पर एक मेट का नियोजन किया जावे एवं मेट बाबत् पृथक् से मस्टररोल (अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु) जारी किया जावे।
2. 10 से कम श्रमिकों के लिए मेट का नियोजन नहीं किया जावे, अकुशल श्रमिकों के लिए जारी की गई मस्टररोल में किसी एक श्रमिक को मस्टररोल में हाजरी संधारण किये जाने हेतु नियुक्त किया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे श्रमिक को भी अकुशल की दर से भुगतान देय होगा।
3. 20 से अधिक संख्या में अकुशल श्रमिक होने की अवस्था में श्रमिकों हेतु प्रति दस श्रमिक पर एक मस्टररोल (अकुशल श्रमिकों हेतु) एवं तद्नुसार एक से अधिक मेट होने की अवस्था में सभी मेटो के नाम एक ही मस्टररोल (अर्द्धकुशल हेतु) में अंकित करते हुए, तद्नुसार हाजरी की जावे।

उल्लेखनीय है कि अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों का भुगतान श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देय होगा

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःएफ.56 (क)()सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022–23/48901-936 दिनांकः 09/06/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, समस्त राजस्थान।
3. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
4. सुरक्षित पत्रावली।

09/06/2022
मुख्य अभियंता